न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–157/2013

मृतक चन्द्रिका प्रसाद के विधिक वारिसान एवं अन्य..वादीगण

बनाम

सुरेन्द्र राउत एवं अन्य..प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
23.02.2024	वादीगण की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 16.12.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 03 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिस्थापित वादी सं0–01बी बृजबिहारी प्रसाद की मृत्यु दिनांक 29.09.2023 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिस्थापित वादी सं0–01बी बृजबिहारी प्रसाद अपने विधिक वारिसान के रूप में अपने पीछे अपनी पत्नी मु0 प्रभा देवी तथा तीन पुत्री नेहा कुमारी, स्नेहा कुमारी एवं आकृति कुमारी एवं एक पुत्र अनुज कुमार को छोडकर मरे है। अतः वादपत्र से मृतक प्रतिस्थापित वादी सं0–01बी बृजबिहारी प्रसाद का नाम कलमजद करने तथा मृतक के स्थान पर उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करे, जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिस्थापित वादी सं0–01बी बृजबिहारी प्रसाद की मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। वादीगण द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में शपथपत्र भी दाखिल किया है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिस्थापित वादी सं0–01बी बृजबिहारी प्रसाद का नाम कलमजद करें तथा आवेदनानुसार मृतक के विधिक प्रतिनिधियों का नाम प्रतिस्थापित करें।	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–157/2013

मृतक चन्द्रिका प्रसाद के विधिक वारिसान एवं अन्य..वादीगण

बनाम

सुरेन्द्र राउत एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार **23.02.2024**	वाद दिनांक 18.03.2024 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	